Orim-1

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत जिला कलक्टर, झुंझुनू मुकाम झुंझुनूं

शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं बनाम 1. सीताराम पुत्र सुरजाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी अणगासर, तहसील व जिला झुंझुनूं। 2. श्रीमती मंजू देवी पत्नि जगदीश प्रसाद शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी अणगासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा नम्बर 179 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.05.2022	प्रार्थना पत्र बाद जांच पेश हुआ। श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं ने प्रार्थना पत्र के जरिये निवेदन किया है कि न्यायालय हाजा मे वाद सं0 94/2021 एवं 53/2021 उनवानी सीताराम बनाम मंजूदेवी विचाराधीन थे। उक्त प्रकरण वर्तमान मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ मे स्थानान्तरित हो चुके है। इन्ही पक्षकारानों के मध्य एक पत्थरगढी का प्रकरण मुकदमा संख्या 40/2021 न्यायालय हाजा मे विचाराधीन है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पक्षकारान् मंजू शर्मा के पति के विरूद्व आई0पी0सी0 तथा आई0टी0 एक्ट की विभिन्न धाराओं मे एक परिवाद श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, झुंझुनूं के यहां पेश किया है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी के समक्ष conflict of Interest उत्पन्न हो चुका है। अतः निवेदन है कि न्यायहित मे प्रकरण संख्या 40/2021 को अन्यत्र न्यायालय मे स्थानान्तरित करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र मे वर्णित वाद सं0 94/2021 एवं 53/2021 उनवानी सीताराम बनाम मंजूदेवी जो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं मे विचाराधीन थे के क्रम मे पक्षकारा मंजू देवी द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रार्थना पत्र बाबत मुकदमा स्थानान्तरण पेश करने पर प्रार्थना पत्र सं0 267/2021 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 07.04.2022 द्वारा आगामी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अधिकारी, नवलगढ को स्थानान्तरित करने के आदेश दिये गये थे। ऐसी स्थिति मे इस प्रार्थना पत्र के क्रम मे अन्य पक्षकारान् को सुना जाना आवश्यक नही है। पूर्व मे स्थानान्तरित किये गये प्रकरणों के साथ–साथ इस प्रकरण मे भी सुनवाई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के स्तर पर की जानी उचित है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर आदेश दिये जाते है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं मे विचाराधीन वाद सं0 40/2021 को आगामी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ मे स्थानान्तरित किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ को प्रेषित हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा इस संबंध मे संबंधित पक्षकारों को भी अपने स्तर से सूचित किया जावे। अतः पत्रावली दर्ज के स्तर पर ... हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Laxman Singh Kuri Date: 2022.06.01 13:22:55 IST Reason: SelfAttested जिला कलक्टर, झुंझुनूं	2321-22 24-5-22